टी. ओ. एंथोनी

बनाम

करवर्णन और अन्य

(सिविल अपील संख्या 1082/2008)

01 फरवरी, 2008

(के.जी. बालाकृष्णन, सीजेआई और आर.बी. रवीन्दरन, जे.)

मोटर दुर्घटना दावा:

अंशदायी लापरवाही और समग्र लापरवाही-इसका अर्थ और इसके बीच का अन्तर समझाया गया-जहां घायल स्वयं आंशिक रूप से उत्तरदायी है, "समग्र लापरवाही" का सिद्धांत लागू नहीं होगा और न ही स्वतः अनुमान लगाया जा सकता है कि लापरवाही 50-50, थी, जैसा कि इस मामले में गलत मान लिया गया था-तथ्यों पर-दावेदार दुर्घटना के लिए आंषिक रूप से जिम्मेदार होने के कारण, उस पर 25% और प्रतिवादी पर 75% की जिम्मेदारी तय की जाती है। उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित विशेष नुकसान में हस्तक्षेप नहीं किया जाता है-हांलाकि, मुआवजे की मात्रा में उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के अनुसार, किसी भी वृद्धि की आवष्यकता नहीं है-दावेदार की ओर से अंशदायी लापरवाही का विस्तार केवल 25% है न कि 50%, मुआवजे को घटाकर केवल 25% कर दिया

गया है न कि 50% दावेदार याचिका की तारीख से वसूली की तारीख तक 9% ब्याज के साथ तदनुसार अतिरिक्त मुआवजे का हकदार होगा।

शब्द और वाक्यांश :

'अंशदायी लापरवाही 'और' समग्र लापरवाही - मोटर दुर्घटना दावे के संदर्भ में इसका अर्थ समझाया गया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 1082-2008

एर्नाकुलम में केरल उच्च न्यायालय के एम.एफ.ए. संख्या 1534/1998 में अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 03.03.2005 से।

अपीलार्थी की ओर से अनीता शॅनाय और नवीन आर. नाथ।

प्रत्यर्थी के लिए प्रद्योत कुमार चक्रवर्ती।

न्यायालय आदेश के.जी बालकृष्णन, सीजेआई द्वारा दिया गया।

1- अनुमति दी गयी, उभयपक्षों के विद्वान वकील को सुना गया।

2- प्रकरण अपीलकर्ता केरल राज्य सडक परिवहन निगम में कार्यरत एक ड्राईवर था। दुर्घटना के दिन, वह पलक्कड से त्रिचूर तक केएसआरटीसी (केएल 15-1074) बस चला रहा था। जब उनकी बस कन्नानूर के पास थी तो एक निजी बस (केएल 9ए-3456) जो पहले प्रतिवादी द्वारा संचालित थी (दूसरे प्रतिवादी की थी और तीसरे प्रतिवादी के साथ बीमाकृत थी) विपरीत दिशा से आई और आमने सामने की टक्कर हो

गयी। परिणामस्वरूप अपीलकर्ता को दाहिनी जांघ की हड्डी टूटने सहित चोटें आयी। उन्होंने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, पलक्कड के समक्ष एक याचिका दायर की और मुआवजे के रूप में 2,50,000 रूपये का दावा किया। दिनांक 13.08.1998 के निर्णय और अवार्ड द्वारा मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने दावा याचिका को आंशिक रूप से अनुमति दी। ट्रिब्यूनल ने माना कि दुर्घटना दोनों वाहनों के ड्राईवरों की समग्र लापरवाही के कारण हुई और यह नहीं कहा जा सकता कि दुर्घटना केवल पहले प्रतिवादी की लापरवाही के कारण हुई। ट्रिब्यूनल ने आगे कहा कि चूंकि दुर्घटना दोनों वाहनों के चालकों की अंशदायी और समग्र लापरवाही के कारण हुई, इसलिए दायित्व पचास-पचास (अर्थात प्रत्येक का 50% होना चाहिए। ट्रिब्यूनल ने मुआवजा 78500 रूपये निर्धारित किया। अपने फैसले के मद्देनजर कि अपीलकर्ता दुर्घटना के लिए 50% की सीमा तक जिम्मेदार था, उसने अपीलकर्ता की लापरवाही के लिए उसमें से 50% की कटौती की, और अपीलकर्ता को 12% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज के साथ 39,250 रूपये दिये। याचिका की तारीख से वसूली की तारीख तक और तीसरे प्रतिवादी (बीमाकर्ता) को उक्त राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया।

03- उक्त अवार्ड से व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की। उच्च न्यायालय ने दिनांक 03.03.2005 के निर्णय द्वारा अपील को आंशिंक रूप से स्वीकार कर लिया। उच्च न्यायालय

ने लापरवाही के संबंध में निष्कर्ष में हस्तक्षेप नहीं किया। हालांकि इसने मुआवजे में वृद्धि की और अपीलकर्ता को याचिका की तारीख से भुगतान की तारीख तक 9% प्रतिवर्ष ब्याज के साथ 39,900 रूपये का अतिरिक्त मुआवजा देने का निर्देश दिया। उच्च न्यायालय के फेसले से संतुष्ट न होकर अपीलकर्ता ने विशेष अनुमति के माध्यम से यह अपील दायर की है।

04- अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि दुर्घटना के समय वह अपनी बस को सावधानीपूर्वक मध्यम गति से चला रहा था और उसकी बस सडक के दांई ओर पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही थी। उनके अनुसार निजी बस, प्रथम प्रतिवादी द्वारा तेजी और लापरवाही से चलाई जा रही थी, विपरीत दिशा से आई, सडक के गलत साइड में चली गयी और उनकी बस से टकरा गयी। उन्होंने तर्क दिया कि ट्रिब्यूनल और उच्च न्यायालय को यह मानना चाहिए था कि पहला प्रतिवादी दुर्घटना के लिए पूरी तरह जिम्मेदार था और परिणामस्वरूप बिना किसी कटौती के मुआवजा दिया जाना चाहिए था।

05- ट्रिब्यूनल ने माना कि अपीलकर्ता और पहले प्रतिवादी की लापरवाही की सीमा पचास-पचास है, क्योंकि यह समग्र लापरवाही का मामला था। हमने पाया है कि ट्रिब्यूनल, कई ट्रिब्यूनल द्वारा की गयी एक सामान्य गलती में फंस गया है, इस धारणा में आगे बढने में कि समग्र लापरवाही और अंशदायी लापरवाही एक ही हैं। दो या दो से अधिक वाहनो

से जुडी दुर्घटना में, जहां कोई तीसरा पक्ष (ड्राईवर और/या शामिल वाहनों के मालिकों के अलावा) नुकसान या चोटों के लिए मुआवजे का दावा करता है, ऐसा कहा गया है कि उक्त वाहनों के ड्राईवरों की समग्र लापरवाही के संबंध में मुआवजा देय है। लेकिन ऐसी दुर्घटना के संबंध में, यदि दावा व्यक्तिगत चोटों के लिए ड्राईवरों में से किसी भी एक द्वारा या उसकी मृत्यु के कारण हुए नुकसान के लिए ड्राईवर के कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा या क्षति के संबंध में वाहनों में से किसी एक के मालिक द्वारा किया गया है, तब जो मुद्दा उठता है, वह सभी ड्राईवरों की समग्र लापरवाही के बारे में नहीं है, बल्कि संबंधित ड्राईवर की अंशदायी लापरवाही के बारे में है।

06- समग्र लापरवाही का तात्पर्य दो या दो से अधिक व्यक्तियों की ओर से की गयी लापरवाही से है। जहां एक व्यक्ति दो या दो से अधिक गलत काम करने वालों की लापरवाही के परिणामस्वरूप घायल हो जाता है, ऐसा कहा जाता है कि वह व्यक्ति उन गलत काम करने वालों की समग्र लापरवाही के कारण घायल हुआ था। ऐसे मामले में, प्रत्येक गलत कर्ता, संपूर्ण क्षति के भुगतान के लिए घायल के प्रति संयुक्त रूप से और अलग अलग उत्तरदायी होता है और घायल व्यक्ति के पास उनमें से सभी या किसी एक के खिलाफ कार्यवाही करने का विकल्प होता है। ऐसे मामले में, घायल को प्रत्येक गलती करने वाले की जिम्मेदारी की सीमा अलग से स्थापित करने की आवश्कता नहीं है, न ही अदालत के लिए प्रत्येक गलती

करने वाले की जिम्मेदारी की सीमा अलग से निर्धारित करना आवश्यक है। दूसरी ओर, जहां किसी व्यक्ति को चोट लगती है, आंशिक रूप से किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों की ओर से लापरवाही के कारण और आंशिक रूप से उसकी अपनी लापरवाही के परिणामस्वरूप, फिर घायल के उस हिस्से की लापरवाही जिसने दुर्घटना में योगदान दिया, को उसकी अंशदायी लापरवाही के रूप में जाना जाता है। जहां घायल कुछ लापरवाही का दोषी है, नुकसान के लिए उसका दावा केवल उसकी ओर से लापरवाही के कारण पराजित नहीं होता है, बल्कि चोटों के संबंध में उसके द्वारा वसूली योग्य क्षति उसकी अंशदायी लापरवाही के के अनुपात में कम हो जाती है।

07- इसलिए, जब दो वाहन दुर्घटना में शामिल होते हैं, और उनमें से एक चालक लापरवाही का आरोप लगाते हुए दूसरे चालक से मुआवजे का दावा करता है, और दूसरा चालक लापरवाही से इनकार करता है या दावा करता है कि घायल दावेदार खुद लापरवाह था, तो यह विचार करना आवश्यक हो जाता है कि क्या घायल दावेदार लापरवाह था और यदि हां, तो क्या वह दर्घटना के लिए पूरी तरह या आंशिक रूप से जिम्मेदार था और उसकी जिम्मेदारी की सीमा, यह उसकी अंशदायी लापरवाही है। इसलिए जहां घायल स्वयं आंशिक रूप से उत्तर दायी है, वहां सम्ग्र लापरवाही का सिद्धांत लागू नहीं होता और न ही कोई स्वचालित अनुमान लगाया जा सकता है कि लापरवाही 50-50 थी जैसा कि इस मामले में

माना गया है। ट्रिब्यूनल को अपीलकर्ता की अंशदायी लापरवाही की सीमा की जांच करनी चाहिए थी ओर इस तरह समग्र लापरवाही और अंशदायी लापरवाही के बीच भ्रम से बचना चाहिए था। उच्च न्यायालय उक्त त्रृटि को सुधारने में विफल रहा है।

08- यह विवाद नहीं है जैसा कि महाजर प्रदर्श पी-2 से पता चला कि दुर्घटना स्थल तारकोल वाली सडक के दक्षिणी किनारे से 2.26 मीटर की दूरी पर और तारकोल वाली सडक के उत्तरी किनारे से 4.79 मीटर की दूरी पर था। यदि अपीलकर्ता पलक्कड से त्रिचूर (पूर्व से पश्चिम) की ओर जा रहा था और दुर्घटना सडक के दक्षिणी किनारे से 2.2 मीटर की दूरी पर और सडक के उत्तरी किनारे से 4.79 मीटर की दूरी पर हुई, तो निष्कर्ष यह है कि अपीलकर्ता सडक के दांई ओर और निजी बस आंशिक रूप से सडक के गलत दिशा में आ गयी, लेकिन इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि आमने सामने की टक्कर हुई थी। साक्ष्य से पता चलता है कि अपीलकर्ता सतर्क नहीं था, क्योंकि उसने आने वाली बस को देखकर न तो बस को धीमा किया और न ही अपनी बाई ओर घुमाया।

09- मात्रा के संबंध में हम पाते हैं कि ट्रिब्यूनल ने चिकित्सा व्यय के लिए 15,000 रूपये, अटैंडेंट खर्च के लिए 1000 रूपये, कमाई के नुकसान के लिए 5000 रूपये, परिवहन के लिए 1000 रूपये, पौष्टिक भोजन के लिए 1000 रूपये दिये। कपडों की क्षति के लिए 500 रूपये,

विषेष क्षति के रूप में कुल 23,500 रूपये, इसने दर्द और पीडा के लिए मुआवजे की मात्रा 5000 रूपये और आंशिक स्थायी विकलांगता और परिणामी भविष्य की कमाई क्षमता के नुकसान के लिए 50,000 रूपये, कुल मिलाकर सामान्य क्षति के रूप में 55,000 रूपये तय की। इस प्रकार ट्रिब्यूनल ने कुल मुआवजा 78,500 रूपये निकाला और अपीलकर्ता की लापरवाही के लिए 50% की कटौती के बाद, उसने अपीलकर्ता को 39,250 रूपये दिये। उच्च न्यायालय ने पाया कि कुल मिलाकर 23,500 रूपये की विशेष क्षति के लिए हस्तक्षेप की आवश्कता नहीं है, लेकिन इसने दर्द और पीडा के मद में मुआवजे को बढाकर 10,000 रूपये (5,000 रूपये के बजाय) और विकलांगता और भविष्य में कमाई के नुकसान के तहत मुआवजे को 1,24,800 रूपये (50,000 रूपये के बजाय) कर दिया। इस प्रकार उच्च न्यायालय ने मुआवजे की राशि 78,500 रूपसे से बढाकर 1,58,300 रूपये कर दी। चूंकि वृद्धि रूपये 79,800 थी, इसने बढी हुई राशि का 50% अर्थात 39,900 रूपये अपीलकर्ता को दे दिया। हम पाते है कि तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर उच्च न्यायालय द्वारा तय की गयी मुआवजे की मात्रा उचित है और इसमें किसी भी वृद्धि की आवश्कता नहीं है।

10- अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि इलाज के लिए उसने जो छुट्टी ली थी, उसकी भरपाई के लिए मुआवजा नहीं दिया गया है। हमने पाया कि

ट्रिब्यूनल और हाईकोर्ट दोनों ने उपचार की अवधि के दौरान कमाई के नुकसान की मद में मुआवजा दिया है। जहां तक किसी भी भविष्य के उपचार की अवधि (दावा याचिका की तारीख के बाद) के दौरान कमाई के नुकसान की बात है, तो इसे विकलांगता और भविष्य की कमाई क्षमता के लिए मुआवजे के प्रमुख के तहत अवार्ड द्वारा कवर किया जावेगा। इसलिए उन्हें उस मद की मात्रा बढने का कोई कारण नहीं दिखता।

11- जैसा कि हमने पाया है कि अपीलकर्ता की ओर से अंशदायी लापरवाही की सीमा केवल 25% है और 50% नहीं, मुआवजा केवल 25% कम किया जाना चाहिए और 50% नहीं। इसलिए, अपीलकर्ता को दिया जाने वाला मुआवजा 1,18,725 रूपये होगा (अर्थात 1,58,300 रूपये, 25% कम) चूंकि ट्रिब्यूनल ने 39,250 रूपये और उच्च न्यायालय ने 39,900 रूपये और दिये हैं, अपीलकर्ता अतिरिक्त मुआवजे के रूप में शेष 39,575 रूपये का हकदार होगा।

12- हम तदनुसार इस अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हैं और मानते हैं कि अपीलकर्ता याचिका की तारीख से वसूली की तारीख तक 9% प्रतिवर्ष ब्याज के साथ 39,575 रूपये की अतिरिक्त राशि का हकदार है। यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त राशि ट्रिब्यूनल और उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये फैसले के अतिरिक्त है। प्रतिवादी 01 से 03 अपीलकर्ता को उक्त राशि का भुगतान करने के लिए संयुक्त रूप से और अलग-अलग

उत्तरदायी हैं, और तीसरे प्रतिवादी बीमाकर्ता को समान भुगतान करने के लिए निर्देशित किया जाता है। अपीलकर्ता 2000 रूपये की लागत का भी हकदार होगा।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल **'सुवास'** की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सुनीता (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।